माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
कार्यालय आदेश

क्रमांक परीक्षा–II/2012 T- 3069 दिनांक 2/3/12

बोर्ड प्रलेखों में संशोधन के संबंध में विचारार्थ गठित समिति की बैठक दिनांक 13.02.2012 के निर्णयनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 24.02.2012 की अनुपालना में बोर्ड की निर्देश पुस्तिका के अध्याय 16 विनियम 21 के अन्तर्गत निर्देश संख्या 5A जोड़ते हुए संशोधन किया जाता हैं–

5-A (1) परीक्षार्थी के मध्यनाम / उपनाम में अथवा पिता के मध्यनाम / माता के मध्यनाम / उपनाम की शुद्धि के लिये 2 वर्ष की सीमा लागू नही होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखो में भी अन्तर हैं तो संशोधन हेतु 2 वर्ष की सीमा लागू नही होगी। छात्र / छात्रा यदि अपने स्वयं अथवा पिता अथवा माता के मध्यनाम, उपनाम को सही करना चाहे तो सही संशोधन के संबंध में प्रधानाध्यापक की अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर अथवा स्वयं के शपथ पत्र व शाला रिकोर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर नियमानुसार सही पाये जाने पर निस्तारण किया जा सकेगा। वर्तनी व स्पेस में संशोधन सम्बन्धित विद्यार्थी के घोषणा पत्र तथा कोई शैक्षणिक दस्तावेज की राजप्रत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कियें जाने के पश्चात् उसके आधार पर किया जा सकेगा।

5-A (2) संशोधन हेतु शुल्क निम्नानुसार होगा–

छात्र / छात्रा का नाम / पिता / माता का नाम में वर्तनी एवं स्पेस संशोधन	दो वर्ष तक कोई शुल्क नही न्यूनतम 100 / – रू छात्र की त्रुटि पाये जाने पर तत्पश्चात् अतिरिक्त 50 / – प्रतिवर्ष अधिकतम रू 1000 / –
छात्र / छात्रा का मध्यनाम / उपनाम व पिता / माता का मध्यनाम / उपनाम हेतु	दो वर्ष तक कोई शुल्क नही न्यूनतम 100 / – छात्र की त्रुटि पाये जाने पर तत्पश्चात् अतिरिक्त 100 / – रू प्रतिवर्ष अधिकतम रू 2000 / –

विशेष नोट :– 1. परीक्षार्थी के नाम / पिता का नाम / माता का नाम / मध्यनाम / उपनाम में वर्तनी अथवा संशोधन यदि माध्यमिक परीक्षा में कक्षा 8 के आधार पर उच्च माध्यमिक परीक्षा में कक्षा–10 के आधार पर उसके अनुसार संशोधन चाहा गया है तो अधिकतम 2 वर्ष तक कोई शुल्क नही लिया जावेगा।

सचिव 2/3/12

कृ प उ..... 2